न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1709–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 02/अपील/2014–15.

गौरीशंकर आत्मज परसराम रघुवंशी
निवासी ग्राम सोमलवाड़ा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– सुभाष आत्मज मोहनलाल गौर
2– गुट्टूलाल आत्मज मोहनलाल गौर
निवासीगण ग्राम सोमलवाड़ा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय गौर, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, सिवनी मालवा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नागझिर, प.ह.नं. 50 तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 38/1 एवं 38/2 क कुल रकबा 2.428 हेक्टेयर उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है । उक्त भूमि का आवेदक द्वारा सीमांकन कराये जाने पर आवेदक की 1.32 एकड़ भूमि अनावेदकगण के अवैध कब्जे में पाई गई है, अतः आवेदक को कब्जा वापिस दिलाया जाये । तहसीदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/2011–12 दर्ज कर

दिनांक 16–11–2012 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदकगण को बेदखल कर आवेदक को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–11–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि लिखित तर्क में उठाये गये आधार एवं निगरानी मेमों में उल्लिखित आधार ही उनके तर्क हैं । लिखित तर्क एवं निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 38/1 एवं 38/2 कुल रकबा 2.428 का दिनांक 8–6–2010 को सीमांकन कराया गया है, एवं सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 का प्रकरण समयावधि में प्रस्तुत किया गया है । अनावेदक ने दिनांक 10–11–2010 को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सीमांकन की कार्यवाही की जानकारी उन्हें हो गई थी, और उनके द्वारा सीमांकन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि सीमांकन कार्यवाही दूषित थी , जबकि विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ।

(3) सीमांकन की कार्यवाही अनावेदकगण को नोटिस की तामीली कराई जाकर, राजस्व निरीक्षक, कोटवार एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में विधिवत पंचनामा बनाकर चांदा मुनारे व खूंटी गाड़कर की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पंचनामे पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण सीमांकन को अवैध ठहराया है, जबकि वास्तव में अनावेदकगण एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य सीमांकन के दौरान मौके पर मौजूद थे । अनावेदक अत्यंत वृद्ध होकर 70

वर्षीय व्यक्ति है एवं अक्सर बीमार रहता है, और वे हस्ताक्षर के समय आराम कर रहे थे, चूकवश पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, जबकि पंचनामें पर अपीलार्थी के भाई तथा परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं ।

(5) अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष सीमांकन को चुनौती दी गई थी, जिसे अपर अपर कलेक्टर द्वारा 21–10–2011 को निरस्त कर दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 178, 2013 आर.एन. 377 (उच्च न्या.) 1983 आर. एन. 311 एवं 1983 आर.एन. 380 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा खसरा कमांक 38/1 ख एवं 38/1 के रकबा 6.00 एकड़ भूमि का सीमांकन करने बावत तहसीलदार को आवेदन दिया था, लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह खसरा कमांक 38/1 ख के सीमांकन से संबंधित है, और जो सूचना पत्र मेड़ पड़ोसियों को देना बताया जा रहा है, उन सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह केवल खसरा कमांक 38/1 ख के सीमांकन के संबंध में दिया गया है । राजस्व निरीक्षक हंस कुमार ओंकार ने संहिता की धारा 250 के तहत विचाराधीन प्रकरण में अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को माना है कि मैने कमला बाई विधवा मोहन लाल एवं कीर्ति बाई पुत्री मोहनलाल को कोई नोटिस नहीं दिये थे । इस तथ्य की पुष्टि ग्राम कोटवार के मुख्य परीक्षण से भी होती है, जिसमें उसने माना है कि कमला बाई एवं कीर्ति बाई को कोई भी नोटिस नहीं दिये गये थे । इसके अतिरिक्त स्थल पंचनामा में में अनावेदकगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा जो सीमांकन की कार्यवाही करना बताया जा रहा है, सीमांकन की कार्यवाही के समय उभय पक्ष उपस्थित नहीं थे । सीमांकन के समय आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं था, इसकी पुष्टि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक के प्रतिपरीक्षण से होती है, जिसमें आवेदक ने इस तथ्य को माना है कि सीमांकन के समय मैं उपस्थित नहीं था । मुझे यह भी नहीं मालूम की, किस भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है । मैं उपस्थित नहीं था इसलिए सीमांकन से संबंधित कार्यवाही की

जानकारी नहीं है । सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित नहीं होने की पुष्टि पटवारी कन्हैयालाल पवार के प्रतिपरीक्षण से भी होती है, जिसका समर्थन राजस्व निरीक्षक हंस कुमार ओंकार द्वारा भी किया गया है । अतः उभय पक्ष की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन पूर्णतः दूषित कार्यवाही है, जिससे आवेदक को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(3) राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05–06–10 से 08–06–2010 तक सीमांकन कार्य करना प्रतिवेदन में बताया गया है, लेकिन सीमांकन के समय कौन किस दिनांक को उपस्थित था, इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, इस कारण सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है । त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध सीमांकन के आधार पर तहसीलदार के समक्ष जो संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई थी, उसमें भी आवेदक द्वारा जानबूझकर कमलाबाई, कीर्तिबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थे, ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । आवेदक द्वारा अनावेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से असत्य तथ्यों पर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा भी अपने स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 38/2 ख के विधिवत सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । सीमांकन के संबंध में भू–अधीक्षक के द्वारा सीमांकन का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बंदोबस्त नक्शे में भूमि खसरा कमांक 38/1 एवं 38/2 की स्थिति बंदोबस्त के समय से बनी हुई है । नक्शे में रकबा कमी का मिलान किया गया, नक्शा दुरूस्ती पश्चात ही रकबे का सीमांकन किया जाना संभव है । आवेदक की भूमि भी खसरा कमांक 38 की है, ऐसी स्थिति में जब अनावेदकगण की भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सकता है, और आवेदक की भूमि का सीमांकन किया जाता है तो ऐसी कार्यवाही पूर्णतः दूषित एवं विधि विरूद्ध हो जाती है, क्योंकि आवेदक एवं अनावेदकगण के जो बटांक हैं, वह खसरा कमांक 38 के हैं । खसरा कमांक 38 के तीन बटांक निर्मित हुए हैं, जिसमें से खसरा कमांक 38/2 ख पर अनावेदकगण एवं कमला बाई, कीर्ति बाई एवं 38/1 ख पर आवेदक स्वयं तथा 38/1 क. 2 पर उसके भाई रविशंकर का नाम दर्ज है ।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की वैधता पर विचार कर आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है, और न ही उसे अवैध ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त को अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना कर अपील का निराकरण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आई साक्ष्यों की विवेचना करते हुए विधि के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर